विशेष आहरण अधिकार

प्रिलिम्स के लिये:

विशेष आहरण अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष।

मेन्स के लिये:

महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने** [विशेष आहरण अधिकार](#) **मुद्रा टोकरी में युआन के भारांक को बढ़ा दिया** , जिससे उत्साहित होकर चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने वित्तीय बाज़ारों को और अधिक उदार बनाने का संकल्प लिया।

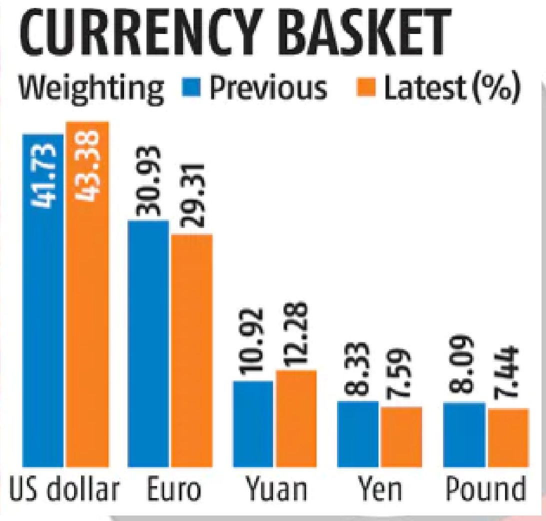

//

प्रमुख बिंदु

- IMF ने वर्ष 2016 में चीनी मुद्रा के टोकरी में शामिल होने के बाद से SDR मूल्यांकन की अपनी पहली नियमित समीक्षा में युआन का भारांक 10.92% से बढ़ाकर 12.28% कर दिया है।
- **अमेरिकी डॉलर का भारांक 41.73% से बढ़कर 43.38% हो गया**, जबकि यूरो, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड में गिरावट आई।
- समीक्षा के बाद मुद्राओं के भारांक की रैंकिंग समान है, साथ ही युआन तीसरे स्थान पर बना हुआ है।
- अप्रैल के अंत से युआन के तेज़ी से मूल्यह्रास के बीच यह परिवर्तन आया क्योंकि यह कोविड-प्रेरित लॉकडाउन और पूंजी बहिर्वाह तथा अमेरिका के साथ अपनी व्यापक मौद्रिक नीति विचलन के कारण घरेलू विकास के धीमा होने की दोहरी मार का सामना कर रहा है।

विशेष आहरण अधिकार:

- **परिचय:**
    - SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा। बल्कि, यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान-प्रदान किया जा सकता है।

- SDR आईएमएफ और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के खाते की इकाई के रूप में कार्य करता है।
- SDR की मुद्रा कीमत का निर्धारण यूएस डॉलर में मूल्यों को जोड़कर किया जाता है, जो बाज़ार विनिमय दर, मुद्राओं की एक SDR बास्केट पर आधारित होता है।
- मुद्राओं की SDR बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं चीनी रॅन्मिन्बी (वर्ष 2016 में शामिल) हैं।
- SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन (अवकाश को छोड़कर या जिस दिन IMF व्यावसायिक गतिविधियों के लिये बंद हो) होता है एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा (Quotas) को SDRs में इंगित किया गया है।

- **किसी देश का कोटा (आईएमएफ में योगदान की गई राशि) SDR में अंकित होता है।**
  - सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है।
  - IMF अपने सदस्यों को उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य SDR आवंटित करता है।
- **IMF में भारत का कोटा:**
  - वर्ष 2016 में IMF में कोटा और प्रशासन संबंधी सुधार हुए।
  - इसके अनुसार, भारत का मतदान अधिकार 0.3% बढ़कर 2.3% से 2.6% हो गया है और चीन का मतदान अधिकार 2.2% बढ़कर 3.8% से 6% हो गया है।
  - वर्तमान में भारत के पास IMF में विशेष आहरण अधिकार कोटा का 2.75% और वोट 2.63% है।
  - भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में IMF में स्वर्ण भंडार, विदेशी मुद्रा संपत्ति और रिज़र्व ट्रेंच के अलावा अन्य विशेष आहरण अधिकार भी शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष:

- **परिचय:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये की गई थी।
    - **IMF की** स्थापना **1945** में हुई थी, यह उन 190देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की।
  - IMF का प्राथमिक उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता** सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (तथा उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
    - वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया गया।
- **IMF की रिपोर्ट:**
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।

विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. हाल ही में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को IMF के SDR के बास्केट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? (2016)

(a) रूबल
(b) रैंड
(c) भारतीय रुपया
(d) रॅन्मिन्बी

उत्तर : D

प्रश्न. भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन-सा एक मद समूह सम्मिलित है? (2013)

(a) विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार और विदेशों से ऋण
(b) विदेशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार
(c) विदेशी मुद्रा संपत्ति, विश्व बैंक से ऋण और विशेष आहरण अधिकार
(d) विदेशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विश्व बैंक से ऋण

उत्तर: B

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-drawing-rights